

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या दावा/54/2023 दायर दिनांक 20.06.2023

उनवान

1. कारूलाल पि. धन्नालाल जाति सुथार नि. आकोदिया तहसील सुनेल.

– वादी

बनाम

1. उदयराम पि. धन्नालाल जाति सुथार नि. आकोदिया तहसील सुनेल
2. रामचन्दर पि. धन्नालाल जाति सुथार नि. आकोदिया तहसील सुनेल
3. राधेश्याम पि. धन्नालाल जाति सुथार नि. आकोदिया तहसील सुनेल
4. रामप्यारी पुत्री धन्नालाल पत्नि बाबूलाल जाति सुथार नि. छोटी सुनेल तहसील सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति :-

अभिभाषक वादी :- श्री रमेशचन्द सोनी

अभिभाषक प्रतिवादीगण :- एकतरफा

निर्णय

दिनांक 09.07.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषका वादी उपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ग्राम आकोदिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता संख्या 20 के ख.नं. 296 रकबा 0.3541 व ख.नं. 297 रकबा 2.0867 किता 2 रकबा 2.4408 है. के संबंध में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.12.2025 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं अच्छी मे से अच्छी व बुरी में से बुरी किस्म के आधार पर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियमों के परिपेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये गये थे उक्त निर्णय की पालना में तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2025/378 दिनांक 25.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया



गया जिस पर अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी की सहमति के आधार पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

अतः इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम आकोदिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता संख्या 20 के ख.नं. 296 रकबा 0.3541 व ख.नं. 297 रकबा 2.0867 किता 2 रकबा 2.4408 है. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	कारुलाल पि. धन्नालाल जाति सुथार सा. देह रहन HDFC झालावाड	296	0.0708	बीड प्रथम बीड प्रथम माल अलीफ
		297	0.4173	
		किता 2	0.4881	
2	उदयराम पि. धन्नालाल हि. 1/4 रामचन्द्र पि. धन्नालाल हि. 1/4 राधेश्याम पि. धन्नालाल हि. 1/4 रामप्यारी पुत्री धन्नालाल हि. 1/4 जाति सुथार सा. देह	296 / 1	0.2833	बीड प्रथम बीड प्रथम माल अलीफ
		297 / 1	1.6694	
		किता 2	1.9527	

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।
फाइनल डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड राज0
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी - श्री दिनेश कुमार मीणा आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या दावा/54/2023

दायर दिनांक 20.06.2023

उनवान

1. कारूलाल पि. धन्नालाल जाति सुथार नि. आकोदिया तहसील सुनेल.

- वादी

बनाम

1. उदयराम पि. धन्नालाल जाति सुथार नि. आकोदिया तहसील सुनेल
2. रामचन्द्रर पि. धन्नालाल जाति सुथार नि. आकोदिया तहसील सुनेल
3. राधेश्याम पि. धन्नालाल जाति सुथार नि. आकोदिया तहसील सुनेल
4. रामप्यारी पुत्री धन्नालाल पत्नि बाबूलाल जाति सुथार नि. छोटी सुनेल तहसील सुनेल

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 आर0टी0एक्ट

उपरिस्थिति :-

अभिभाषक वादी :- श्री रमेशचन्द्र सोनी

अभिभाषक प्रतिवादीगण :- एकतरफा

मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाविन

मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.12.2025 अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विवादित आराजी ग्राम आकोदिया तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2072-75 के खाता संख्या 20 के ख.नं. 296 रकबा 0.3541 व ख.नं. 297 रकबा 2.0867 किता 2 रकबा 2.4408 है. भूमि में तहसीलदार सुनेल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खाता विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

क्र.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा है.	किस्म
1	कारूलाल पि. धन्नालाल जाति सुथार सा. देह रहन HDFC झालावाड़	296	0.0708	बीड प्रथम
		297	0.4173	बीड प्रथम माल अलीफ
		किता 2	0.4881	


उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड़




2	उदयराम पि. धन्नालाल हि. 1/4 रामचन्द्र पि. धन्नालाल हि. 1/4 राधेश्याम पि. धन्नालाल हि. 1/4 रामप्यारी पुत्री धन्नालाल हि. 1/4 जाति सुथार सा. देह	296 / 1 297 / 1	0.2833 1.6694	बीड प्रथम बीड प्रथम माल अलीफ
		किता 2	1.9527	

तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।


(दिनेश कुमार मीणा, आरएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड राज0
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)


निजX.....मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद
बषारहX.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX.....
अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 09.07.2025 को जारी किया
गया।


उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड राज0
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान




उपखण्ड अधिकारी, पिडावा
जिला झालावाड राज0
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)